

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2018-19/63\

दिनांक-28/08/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 199/2017-18 दिनांक 01.11.2017 के द्वारा श्री अरुण कुमार (लिंक नम्बर 3202), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण उपवन संरक्षक, वन विभाग, उदयपुर (स्थानान्तरणाधीन) से संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय-1, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अरुण कुमार द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री अरुण कुमार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 28-08-18 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री अरुण कुमार नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-aao1.dta@rajasthan.gov.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें, अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2018-19/63\

दिनांक-28/08/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उपनिदेशक (ग्रामीण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय-1, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
3. श्री अरुण कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-उपनिदेशक (ग्रामीण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीक्षित)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)